



# छत्तीसगढ़ विधानसभा

## पत्रक भाग-एक संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा

द्वादश सत्र

अंक-09

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2013  
(फाल्गुन-8, शक संवत् 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।  
(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02 एवं 04 से 09 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 03 की प्रश्नकर्ता सदस्य श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी अनुपस्थित रहीं।

प्रश्न संख्या 06 की प्रश्नकर्ता सदस्य श्रीमती अंबिका मरकाम के स्थान पर श्री लेखराम साहू, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 14 तारांकित एवं 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

### 2. ध्यानाकर्षण सूचना

- (1) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य द्वारा कसडोल विधान सभा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

- (2) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने इंद्रावती जोरा नाला संगम पर निर्माणाधीन स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य धीमी गति से किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

**(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)**

### 3. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

- (1) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के विकासखंड जैजैपुर के ग्राम घोड़ाडीपा हरेठी खुर्द में सड़क निर्माण किये जाने,
- (2) श्री लेखराम साहू, सदस्य ने कुरुद विधान सभा क्षेत्र के संत गुरु घासीदास कालेज में अव्यवस्था होने,
- (3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने ग्राम नरियरा की भूमि पर कब्जा कर अधिग्रहित किये जाने, तथा
- (4) श्री गुरुमुख सिंह होरा, सदस्य ने जिला धमतरी अंतर्गत नाथूराम मोतीलाल संस्कृत पाठशाला में शासकीय अनुदान का दुरुपयोग किये जाने,
- संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।**

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गयी :-

- (1) श्री हृदयराम राठिया
- (2) श्री बैदूराम कश्यप

### 5.वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा,

**(सभापति महोदय (श्री देबजी पटेल) पीठासीन हुए।)**

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नारायण चंदेल, परेश बागबाहरा, खेदूराम साहू, डॉ(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री दूजराम बौद्ध,

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

सर्वश्री गुरुमुख सिंह होरा, अमरजीत भगत एवं नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे।  
डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 4.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2013 (फाल्गुन, 9 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा